

(3)

प्रकरण संख्या : 7/2023  
कमोददेवी वगै. बनाम राज. सरकार वगै.  
निर्णय दिनांक : 02.07.2024

## न्यायालय उपखण्ड अधिकारी दौसा ( जिला दौसा )

पीठासीन अधिकारी का नाम : मनीष कुमार जाटव, (आर.ए.एस.)  
प्रकरण संख्या : 7/2023  
दायर दिनांक : 29.03.2023  
निर्णय दिनांक : 02.07.2024

1. कमोददेवी पत्नी रामप्रसाद जाति मीना, निवासी श्यालावास तहसील नांगल राजावतान जिला दौसा
2. सन्तरादेवी पत्नी गिरधारी जाति मीना, निवासी श्यालावास तहसील नांगल राजावतान जिला दौसा
3. सुनीतादेवी पत्नी श्योराम जाति मीना, निवासी श्यालावास तहसील नांगल राजावतान जिला दौसा

प्रार्थीगण

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार भाण्डारेज जिला दौसा
2. नरसी पुत्र गोकुल जाति मीना, निवासी नांगलचापा तहसील दौसा
3. गिरधारी पुत्र श्रीया जाति मीना, निवासी नांगलचापा तहसील दौसा
4. ओमप्रकाश पुत्र भगवान सहाय जाति मीना, निवासी ग्राम श्यालावास तहसील नांगल राजावतान
5. मुरली पुत्र भगवान सहाय जाति मीना, निवासी ग्राम श्यालावास तहसील नांगल राजावतान
6. कमली पत्नी भगवान सहाय जाति मीना, निवासी ग्राम श्यालावास तहसील नांगल राजावतान
7. राजन्ती पत्नी हजारी जाति मीना, निवासी ग्राम भगवाल तहसील दौसा
8. सन्ती पत्नी रामस्वरूप जाति मीना, निवासी ग्राम भगवाल तहसील दौसा
9. सुनीता पत्नी राधेश्याम जाति मीना, निवासी ग्राम भगवाल तहसील दौसा

अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 राज. भू-राजस्व अधिनियम 1956

—: निर्णय :—

प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थीगण ने एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 राज. भू-राजस्व अधिनियम 1956 पेश कर निवेदन किया कि प्रार्थीगण ग्राम श्यालावास तहसील नांगल राजावतान जिला दौसा की रहने वाली हैं। अप्रार्थी संख्या 1 राजस्थान सरकार भूमिधारक जरिये तहसीलदार भाण्डारेज जिला दौसा पत्थरगढी प्रार्थना पत्र में आवश्यक पक्षकार हैं। अप्रार्थी संख्या 2 लगायत 9 प्रार्थीगण की खातेदारी भूमि के पडौसी खातेदारान हैं। प्रार्थीगण की खातेदारी भूमि खाता संख्या 248 खसरा नम्बर 18/2 रकबा 0.40 है., खसरा नम्बर 6 रकबा 0.59 है., खसरा नम्बर 7 रकबा 0.23 है. कुल किता 3 कुल रकबा 1.22 है. वाके ग्राम नांगलचापा तहसील भाण्डारेज में स्थित है। प्रार्थीगण उक्त भूमि के खातेदार काबिज काश्तकार दर्ज हैं। प्रार्थीगण के प्रार्थना पत्र पर तहसीलदार के आदेश से दिनांक 10.06.2022 को प्रार्थीगण की उक्त भूमि का सीमाज्ञान किया गया। भविष्य में पडौसी खातेदार व प्रार्थीगण के मध्य अपनी उक्त खातेदारी को लेकर कोई विवाद नहीं हो व प्रार्थीगण अपनी भूमि की सीमाओं के अन्दर महदूत भूमि में सुख शान्ति से काश्त कर सके व पडौसी खातेदारों द्वारा मेड तोडने के विवाद से बचने

(4)

प्रकरण संख्या : 7/2023  
कगोददेवी वगै. बनाम राज. सरकार वगै.  
निर्णय दिनांक : 02.07.2024

हेतु प्रार्थीगण की उक्त भूमि का जरिये पुलिस इमदाद पत्थरगढी किया जाना आवश्यक व न्यायोचित है। अतः प्रार्थना पत्र गय शपथ पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि प्रार्थीगण की खातेदारी भूमि खाता संख्या 248 खसरा नम्बर 18/2 रकबा 0.40 है., खसरा नम्बर 6 रकबा 0.59 है., खसरा नम्बर 7 रकबा 0.23 है. कुल किता 3 कुल रकबा 1.22 है. वाके ग्राम नांगलचापा तहसील भाण्डारेज का राजस्व टीम गठित कर जरिये पुलिस इमदाद पत्थरगढी करने के आदेश फरमाये जाने की कृपा करें।


प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण की तलबी की गयी। अप्रार्थी संख्या 2 लगायत 9 बावजूद तामील न्यायालय में उपस्थित न होने के कारण इनके विरुद्ध एक पक्षीय कार्यवाही की गयी। अप्रार्थी संख्या 1 तहसीलदार भाण्डारेज ने जवाब प्रस्तुत कर प्रश्नगत आराजी प्रार्थीगण के नाम राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज होने, प्रश्नगत आराजी का पूर्व में सीमाज्ञान किया जाने एवं किसी न्यायालय का स्थगन न होने का कथन किया।

प्रकरण में बहस सुनी गई। बहस के दौरान प्रार्थीगण की ओर से कथन किया गया कि प्रश्नगत आराजी प्रार्थीगण के नाम राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज। उक्त भूमि का पूर्व में सीमाज्ञान भी किया जा चुका है। उक्त भूमि पर किसी भी न्यायालय का स्थगन नहीं है। अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर सीमाज्ञान व पत्थरगढी किये जाने के आदेश प्रदान किये जावें।

पत्रावली का अवलोकन किया गया एवं बहस पर मनन किया गया। प्रार्थीगण प्रश्नगत आराजी की पत्थरगढी करवाना चाहते हैं। तहसीलदार भाण्डारेज ने अपने जवाब में कथन किया है कि प्रश्नगत आराजी प्रार्थीगण के नाम राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज है। उक्त भूमि का पूर्व में सीमाज्ञान किया जा चुका है। उक्त भूमि पर किसी न्यायालय का स्थगन नहीं है। चूंकि प्रश्नगत आराजी की खातेदारी वर्तमान राजस्व रिकॉर्ड में प्रार्थीगण के नाम दर्ज है। प्रश्नगत आराजी पर किसी भी न्यायालय का स्थगनादेश नहीं है। ऐसी स्थिति में प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने योग्य प्रतीत होता है। अतः प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 राज. भू-राजस्व अधिनियम 1956 स्वीकार किया जाता है एवं तहसीलदार भाण्डारेज को निर्देशित किया जाता है कि प्रार्थीगण की ग्राम नांगल चापा तहसील भाण्डारेज स्थित खातेदारी भूमि खसरा नम्बर 18/2 रकबा 0.40 है., खसरा नम्बर 6 रकबा 0.59 है., खसरा नम्बर 7 रकबा 0.23 है. कुल किता 3 कुल रकबा 1.22 है. का अनुभवी पटवारियों/भू-अभिलेख निरीक्षक की टीम गठित कर सीमाज्ञान करवाकर पत्थरगढी करवायी जावे। प्रार्थीगण से नियमानुसार राजकीय शुल्क वसूल किया जावे। पत्थरगढी से पूर्व तहसीलदार उक्त भूमि के समीपवर्ती काश्तकारों को प्रार्थीगण के खर्चे पर लिखित में सूचना देगा। उक्त आदेश केवल पत्थरगढी का है, जिसमें किसी प्रकार का कब्जा नहीं सम्भलाया जावे। अगर पुलिस जाब्त की जरूरत हो, तो पुलिस से समन्वय कर पुलिस/होमगार्ड इमदाद प्राप्त की जावे। तहसीलदार भाण्डारेज को पालना हेतु तहरीर जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

निर्णय मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया तथा न्यायालय की मोहर एवं मेरे हस्ताक्षर से जारी किया गया।



  
( मनीष कुमार जाटव )  
उपखण्ड अधिकारी, दौसा  
उपखण्ड अधिकारी  
दौसा (राज०)